

सं. A-31011/04/2012-CLS.I

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली दिनांकित 16 अगस्त, 2013

कार्यालय आदेश सं. 10/2013

विषय : केन्द्रीय श्रम सेवा के एसटीएस पदाधिकारियों का तबादला/पदस्थापन।

माननीय अध्यक्ष केन्द्रीय श्रम सेवा के निम्नलिखित जूनियर टाइम स्केल (जेटीएस) को सीनियर टाइम स्केल (एसटीएस) ग्रेड में, पे स्केल रु. 6600/- के साथ पीबी-3: रु. 15,600-39,100/- में प्रमोट करने तथा नियुक्त करने में हर्ष हो रहा है जो हरेक के लिए निर्दिष्ट पदोन्नति वाले पद के प्रभार के पूर्वानुमानित दिनांक से लागू होगा।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम {श्री/श्रीमती/कुमारी}	पोस्टिंग का वर्तमान स्थान	नियुक्त
1.	एस. गोविंदराव सोनवाले	एएलडब्ल्यूसी(सी), ओएफ, अम्बाझारी, नागपुर	डीडब्ल्यूसी(सी), रायपुर
2.	करम चंद	एएलसी(सी), वास्को	डीएलडब्ल्यूसी(सी), सीपीडब्ल्यूडी, हैदराबाद
3.	अंबरीश शर्मा	एएलसी(सी), अजमेर	आरएलसी(सी), जयपुर
4.	गहू सिंह राठौड़	एएलसी(सी), कोटा	डीएलडब्ल्यूसी(सी), सीओडी, कानपुर
5.	वी. मुथु मनिक्कम	एएलडब्ल्यूसी(सी), सीवीआर एंड डीई, अवादी	डीएलडब्ल्यूसी(सी),ओएफ, वरनगांव
6.	एन.सी. परिदा	एएलडब्ल्यूसी(सी), ओएफ, बादमल, बालनगीर	डीएलडब्ल्यूसी(सी), जीएंडएसएफ, काशीपुर (पश्चिम बंगाल)
7.	गणपति भट्ट	एएलसी(सी), मंगलौर	आरएलसी(सी), बेंगलोर
8.	विनय कुमार त्रिवेदी	एडी, एम/ओ-एलएंडई	आरएलसी(सी), जबलपुर
9.	ए एल कांबले	एएलडब्ल्यूसी(सी), 512, एबीडब्ल्यू, पुणे	आरएलसी(सी), अहमदाबाद
10.	पंकज दुबे	एएलसी(सी), नई दिल्ली	आरएलसी(सी), कानपुर
11.	सीमा मजूमदार	एएलसी(सी), चंद्रपुर	डीएलडब्ल्यूसी(सी), डीएमएस, दिल्ली
12.	आर.सी. श्रीवास्तव	एडब्ल्यूसी(सी), आसनसोल	आरएलसी(सी), धनबाद
13.	इंद्रजीत सिन्हा	एएलसी(सी), आदिपुर	आरएलसी(सी), भोपाल
14.	जी.वी.पी.एल. एन. राव	एडब्ल्यूसी(सी), कन्नूर	डीडब्ल्यूसी(सी), मुजफ्फरपुर
15.	क्लवंत सिंह गुरु	एएलसी(सी), देहरादून	पोस्टिंग के आदेश अलग से जारी किए
16.	गोपाल चंद्र मजूमदार	एडब्ल्यूसी, कोलकाता	जाएंगे।

2. वर्तमान में धनबाद में आरएलसी (सी) के रूप में पदस्थ श्री एस. आर. सहा से संबंधित पदस्थापन आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

3. ऊपर लिखित पदाधिकारियों का एसटीएस ग्रेड में पदोन्नति माननीय सीएटी, चंडीगढ़ के समक्ष श्री ए. के. गोयल द्वारा दायर ओ. ए. सं. 619-सीएच/2011 के अधीन होगा, श्री बी.बी सिंह सामंत (सेवानिवृत्त) द्वारा माननीय गुवाहाटी, डब्ल्यूपीसीटी के समक्ष दायर ओ.ए. सं. 55/2011 के अधीन होगा, श्री अजय कुमार (सेवानिवृत्त) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता के समक्ष दायर ओ.ए. सं. 15/2012 के अधीन होगा, श्री एम धर्मराज द्वारा माननीय सीएटी. हैदराबाद के समक्ष दायर ओ.ए. सं. 240/2012 के अधीन होगा तथा श्री ए. के. श्रीवास्तव द्वारा माननीय सीएटी हैदराबाद के समक्ष दायर ओ.ए. सं. 820/2012 के अंतिम परिणाम के अधीन होगा।

4. वेतन के निर्धारण पर एक वेतन वृद्धि की स्वीकृति का लाभ स्वीकार्य योग्य नहीं होगा यदि पदाधिकारी को पीबी-3: रु. 15,600-39,100/- साथ की ग्रेड पे रु. 6600 के पे स्केल में नन-फंक्शनल पदोन्नति की मंजूरी दी जा चुकी है।

5. इसके अलावा, एसटीएस एंड जेएजी पदाधिकारियों का निम्नलिखित तबादला/पदस्थापन का आदेश तत्काल प्रभाव के साथ दिया गया है:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम {श्री/श्रीमती/कुमारी}	पोस्टिंग का वर्तमान स्थान	नियुक्त
1.	ओंकार शर्मा	डब्ल्यूजीएनएलआई में प्रतिनियुक्ति पर	आरएलसी (सी), मुख्यालय, ओ/ओ-सीएलसी(सी), प्रतिनियुक्ति से देश-प्रत्यावर्तन पर नई दिल्ली
2.	ए. अंजनप्पा	डीएलडब्ल्यूसी(सी),515, एबीडब्ल्यू, बेंगलोर	आरएलसी(सी), बेल्लारी
3.	मार्टिन जोसेफ	डीएलडब्ल्यूसी(सी), ओएफ, वरनगांव	डीएलडब्ल्यूसी(सी), जीटीआरई, बंगलौर
4.	मंजूलता बेहरा	डीएलडब्ल्यूसी(सी), ओएफ, दम दम	डीडब्ल्यूसी(सी), बर्बिल
5.	ज्ञानेंद्र सिंह	आरएलसी(सी), अहमदाबाद	डीएलडब्ल्यूसी(सी),जीआईपी, मिंटो रोड, नई दिल्ली
6.	के. वी. सुब्रमण्यम	आरएलसी(सी), बेंगलोर	डीएलडब्ल्यूसी(सी),515, एबीडब्ल्यू, बेंगलोर
7.	एस. सी. शर्मा	आरएलसी(सी), जबलपुर	डीएलडब्ल्यूसी(सी),ओएफ दम दम (प.ब.)

6. संबंधित संगठनों से अनुरोध है कि ऊपर उल्लेखित पदाधिकारियों को तत्काल सेवा से मुक्त करें ताकि वे अपने नए स्थान पर अपना पदभार ग्रहण कर सकें। संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपनी पोस्टिंग की नियुक्ति रिपोर्ट इस मंत्रालय को संबंधित संगठन के जरिए जितनी जल्दी हो सके सौंप दें। यदि, इस आदेश के जारी होने के 30 दिनों के भीतर पदाधिकारी नए स्थान पर पदभार

ग्रहण करने में अक्षम होते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि उन्हें एसटीएस ग्रेड की पदोन्नति के प्रति दिलचस्पी नहीं है तथा उन्हें मौजूदा रिक्त पद वर्ष से एक वर्ष तक पदोन्नति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। अगले ऊंचे ग्रेड में नन-फंक्शनल पदोन्नति का लाभ ऐसे पदाधिकारियों को नहीं प्रदान किया जाएगा जो प्रमोशनल पद का भार ग्रहण करने में विफल होते हैं क्योंकि पहले से स्वीकृत एनएफयू का लाभ ऊंचे ग्रेड के नियमित पदोन्नति के लिए रिक्त रहता है।

7. पैराग्राफ-5 के क्रम सं. 2 और 3 के पदाधिकारी टीटीए/नियुक्ति समय के लिए अधिकृत नहीं हैं क्योंकि उनका तबादला उनके अपने अनुरोध पर आधारित है।

8. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया।

(राजेश कुमार)

भारत सरकार के अवर सचिव

टेलीफैक्स: 23766937

वितरण: -

1. संबंधित अधिकारी।
2. संबंधित प्रतिष्ठान/संगठन।
3. एलईएम के लिये ओएसडी/सचिव (एलएंडई) के लिए पीपीएस/एएस(एलएंडई)/डीजीएलडब्ल्यू/संयुक्त सचिव(एपी)/सीएलसी(सी)
4. निदेशक(एबी)/डीएस(बीसी)/डीएस(एएफ)
5. प्रशासना / एसई अनुभाग, ओ/ओ सीएलसी- (सी), नई दिल्ली।
6. सीएलसी-II अनुभाग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय।
7. संबंधित पदाधिकारियों का निजी जीवन/कार्यालय आदेश बंडल/अतिरिक्त प्रतियां।